

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़

विभागाध्यक्ष ब्लॉक एक, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, जिला रायपुर, छ.ग.

क्रमांक / 04 / कार्या.स्था. / 2020 / 13,

अटल नगर, दिनांक 06 / 01 / 2020

:: आदेश ::

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छ.ग. के केन्द्रीय प्रयोगशाला में मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की भर्ती हेतु आयोजित लिखित परीक्षा (व्यापम) में संवर्गवार मेरिट आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के पद पर छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के वेतन मैट्रिक्स लेवल-7 में तथा शासन द्वारा समय-समय पर देय अन्य भत्तों पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक 02 वर्ष की परीक्षा अवधि पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नांकित शर्तों के अधीन नियुक्ति की जाती है :-

क्रं.	चयनित अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	निवास का पता	चयनित वर्ग
1	2	3	4	5
1	हेमंत कुमार साहू	श्री भरत लाल साहू	ग्राम+पोस्ट सुरसाबांध, तहसील - राजिम, जिला गरियाबंद, छ.ग.।	अनारक्षित
2	भूपेश कुमार	श्री पुरेश कुमार	ग्राम - चिंगरी, पोस्ट अंडा तहसील+जिला दुर्ग, छ.ग.।	अन्य पिछड़ा वर्ग
3	दुर्गेश्वरी देवांगन	श्री भोला राम देवांगन	न्यू चंगोराभाठा, गणपति नगर, रायपुर, छ.ग.।	अनारक्षित (महिला)
4	नीतू	श्री अश्वनी कुमार कुर्रे	कोहका, पुरानी बस्ती, देशमुख किराना स्टोर्स के पास, वार्ड न. 109, सुपेला, जिला दुर्ग, छ.ग.।	अनुसूचित जाति
5	टेकलाल बरिहा	श्री कुलहल बरिहा	ग्राम जम्हर, पोस्ट- भिथिडीह, थाना+तहसील पिथौरा, जिला - महासमुन्द, छ.ग.।	अनुसूचित जनजाति
6	घनश्याम	श्री गणेशु राम	गुरुघासीदास चौक, उडेना, झिरिया, जिला धमतरी, छ.ग.।	अनुसूचित जाति
7	गामिनी ध्रुव	स्व. श्री भीम सिंह ध्रुव	567 वार्ड नम्बर -42, सुभाष नगर, बड़ा शिवमंदिर के पास, जिला दुर्ग, छ.ग.	अनुसूचित जनजाति
8	अमला तिर्की	श्री टिनटियस तिर्की	तपकरा, लठबोरा, तह. फरसाबहार, जिला - जशपुर, छ.ग.।	अनुसूचित जनजाति
9	शुभम कंवर	श्री नेहरू सिंह कंवर	205, धनवार पारा, पोस्ट दादरकला, व्हाया - भैसमा, तहसील - करतला, जिला कोरबा, छ.ग.।	अनुसूचित जनजाति
10	विमल कुमार	श्री रघुनंदन	एच. न. 506, प्रेम नगर, मोवा, जिला रायपुर, छ.ग.।	अनारक्षित (दिव्यांग)

11	कर्ण सिंह कुंजाम	श्री परशुराम कुंजाम	ग्राम+पोस्ट बम्हनी चारभाठा, तह. छुरिया, जिला - राजनांदगांव, छ.ग.।	अनुसूचित जनजाति
12	सुमित्रा कोंध	श्री भरत लाल कोंध	142 रानीसागर, बड़ेभण्डार, जिला रायगढ़, छ.ग.।	अनुसूचित जनजाति (महिला)

नियुक्ति की शर्तें :-

1. यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होगा।
2. चयनित अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने की तिथि से एक 15 के भीतर उपस्थिति देकर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।
3. चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् एक माह के अंदर जिला मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के व्यय से स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा और परीक्षण संबंधी उपयुक्तता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस संबंध में लेख है कि मेडिकल बोर्ड द्वारा शासकीय सेवा के लिए अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेंगी।
4. चयनित अभ्यर्थी उपस्थिति के समय अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र साथ लेकर आएँ एवं संबंधित अधिकारी के समक्ष समयावधि में प्रस्तुत करें तथा मांगे जाने पर प्रमाण पत्र की मूल प्रतियाँ उपलब्ध कराते हुए सत्यापित प्रति अभिलेख हेतु जमा करें।
5. छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अस्थाई या अर्ध-स्थाई) सेवा नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार संबंधित व्यक्तियों की सेवाएं किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी। संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किए बिना शासकीय पद छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगा।
6. छ.ग.शासन सामान्य प्रशासन विभाग नया रायपुर के परिपत्र क्रमांक एफ 13-4/2006/आ.प्र./1-3/नया रायपुर दिनांक 29.06.2013 में दिए गए निर्देशानुसार जाति संबंधी जानकारी हेतु आरक्षित संवर्ग के द्वारा छानबीन समिति द्वारा जाति सत्यापन प्रमाण प्रस्तुत न करने पर उन्हें शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। जाति संबंधी जानकारी यदि सत्यापन करने पर गलत पायी गई है तो बिना किसी पूर्व सूचना के नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

7. यह नियुक्ति पुलिस चरित्र सत्यापन उपयुक्त पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है। चरित्र सत्यापन में कोई भी बात अन्यथा पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध में संबंधित को एक अंडरटेकिंग कार्यभार ग्रहण करते समय देना आवश्यक होगा।
8. यह नियुक्ति दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि में रहेगी, परीवीक्षा अवधि में कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर परीवीक्षा अवधि बढ़ाया जा सकेगा या नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
9. यह नियुक्ति आदेश रिट पिटिशन क्रमांक (सी) 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित किए जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अधीन होंगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

संचालक
स्वास्थ्य सेवायें,
छत्तीसगढ़

अटल नगर, दिनांक 06/01/2020

पृ.क्रमांक/04/कार्या.स्था./2020/14,
प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर छ.ग.।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
3. संबंधित
की ओर पालनार्थ।
4. विज्ञान एवं सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. छत्तीसगढ़ की ओर विभागीय वेबसाईड में अपलोड किए जाने हेतु सूचनार्थ।
5. आदेश फाईल।

संचालक
स्वास्थ्य सेवायें,
छत्तीसगढ़